पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों को ऋण सहायता देने के लिये भी रियायती ब्याज दरें निर्धारित की हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को, देश के चुनींदा खण्डों में पहली अप्रैल, 1986 से लागू की गयी प्रयोगात्मक प्रक्रिया के बारे में हिदायतें जारी की हैं जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को पशु-पालन कार्यक्रमों, मानक मेक अथवा ब्रांड परिसम्पत्तियां खरीदने तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग सेवा व्यापार संघटक के अधीन 3,000 रुपये तक की परिसम्पत्तियां खरीदने के लिये दी जाने वाली सहायता के वास्ते, आर्थिक सहायता तथा ऋण की रकम का सीधे नकद भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है ।

Theft of thin wire at Itarsi Railway station

1102. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a box containing thin wire which is used in currency notes was stolen away in the month of August, 1985 from the Itarsi Railway station;

(b) whether the Intelligence Department has made any inquiry into the matter;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) whether the box has since been recovered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (d) The Security Paper Mill, Hoshangabad, which manufactures security paper for printing currency and bank notes imports the security thread for insertion into the security paper. In order to develop indigenous source of supply of security thread, the Mill had obtained from an Indian firm some quantity for trial supply. Since some deficiencies were found this was returned to the supplier for carrying out necessary modifications. During transit of this indigenous thread through Railways from the supplier to the Mill, some discrepancy in the weight was noticed. The matter was refered to the Central Bureau of Investigation. The inquiry conducted by the CBI could not clearly establish whether there was actually a loss at all. The CBI had also indicated that there was no scope for further inquiry.

स्व-रोजगार योजना के अधीन दिया गया ऋण

1103. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने शिक्षित बेरोजगार तक की अवधि के दौरान स्व-रोजगार योजना यूनिटों को 1983 से 31 मार्च, 1986 के अधीन वर्षवार तथा बैंकवार ऋण स्वीकृत और वितरित किये गये; और

(ख) उन मामलों में कब तक ऋण वितरण कार्य के पूरा होने की संभावना है जिनमें ऋणों की मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी है लेकिन ऋण, अभी तक वितरित नहीं किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्धन पुजारी) : (क) स्व-रोजगार योजना के अधीन वर्ष 1983-84 में बैंकों ने 2.42 लाख हिताधिकारियों को 401.54 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किये थे । 1984-85 में बैंकों ने 2.29 लाख हिताधिकारियों को 429.53 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किये थे । विकास आयुक्त (लघु उद्योग) उद्योग मंत्रालय के कार्यालय से प्राप्त 1985-86 की रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल, 1986 को बैंकों ने 1.78 लाख हिताधिकारियों को 302.56 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के ऋण मंजूर किये थे । वर्तमान सूचना प्रणाली के अधीन बैंकवार, वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) मंजूर किये गये ऋणों का संवितरण कई बातों पर निर्भर करता है जैसे औपचारिकताओं को पूरा करना और ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण संबंधी कागजात का निष्पादन करना, एकक को लगाने की प्रगति आदि । कुल मिलाकर यह एक सतत प्रक्रिया है इस लिये यह बताना संभव नहीं कि किस